

7

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
आदेश

सं०सं०-2/एल०-199/2026- /स्वा०, पटना, दिनांक- / /2026

डा० शिवानी राय, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, मधुबनी द्वारा प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित/उपभोग की जाने वाली अवकाश अवधि दिनांक-15.08.2026 से 10.02.2027 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिन को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल०-199/2026- 2201(2) पटना, दिनांक 15/9/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मधुबनी/जिला कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी/डा० शिवानी राय, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री रोग), सदर अस्पताल, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

W. R. M. K. Singh
सरकार के उप सचिव।
I